19.09.2023

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी का मूल निगरानी प्रार्थना पत्र निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही

Scanned with CamScanner